



उ०प्र० ग्रामीण आवास परिषद (ग्राम्य विकास विभाग)

सी-8/270, विनीत खण्ड, निकट सेन्दूल बैंक, गोमती नगर, लखनऊ-226 010

पत्र संख्या: 159 / प्र०आ०परि०-212

दिनांक- 03-11-2017

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ।

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु हड़को ऋण की प्रथम किस्त में प्राप्त धनराशि रु० 1394.00 करोड़ को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, उ०प्र० लखनऊ के खाते में आर०टी०जी०एस० के माध्यम से ट्रांसफर किये जाने की सूचना प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1469/38-4-17-49 (विविध)/2017 टी०सी०-1 ग्राम्य विकास अनुभाग-4, लखनऊ दिनांक : 31 अक्टूबर, 2017 एवं आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र० के पत्र संख्या-1176/सम्प्रेक्षा/प्र०म०आ०यो०-प्र०/2017 दिनांक 02 नवम्बर, 2017 के अनुपालन में हड़को ऋण की प्रथम किस्त में प्राप्त धनराशि रु० 1394.00 करोड़ को परिषद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के निम्न खाते में आर०टी०जी०एस० के माध्यम से दिनांक 03.11.2017 को प्रातः 11:00 बजे ट्रांसफर कर दिया गया है:-

1. खातेदार का नाम : प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, उ०प्र० लखनऊ
2. बैंक का नाम : इलाहाबाद बैंक
3. बैंक शाखा का पता : हजरतगंज, लखनऊ
4. बैंक खाता संख्या : 50352149914
5. आई०एफ०एस०सी० कोड : ALLA0210062

कृपया उक्त से अवगत होने की कृपा करें।

भवदीय

(सहस्र) 3.11.2017

ग्रामीण आवास आयुक्त

पृष्ठांकन संख्या : 159 / उपरोक्तानुसार/तद्दिनांक :

प्रतिलिपि-प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग-4 के अवलोकनार्थ प्रेषित।

17/11
Entry
Now
14/11/17

9
(सहस्र)
ग्रामीण आवास आयुक्त
14/11/17



8298/12/17

फोन नं. - 0522-4045094

उ०प्र० ग्रामीण आवास परिषद
(ग्राम्य विकास विभाग)

4312/12/17
19/12/17

सी-6/270, विनीता छगड़, निकट सेन्ट्रल बैंक, गोकुली नगर, लखनऊ-226 010

पत्र संख्या: 186 / ग्रा०आ०परि०-212

दिनांक-18/12/2017

सेवा में,
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ।

विषय: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत हड़को ऋण की द्वितीय किश्त की धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2153/वि०का०/प्र०म०आ०यो०-ग्रा०-2017 दिनांक : 24 नवम्बर, 2017 का अवलोकन करने की कृपा करें। जिसके द्वारा हड़को ऋण की द्वितीय किश्त की धनराशि ₹ 868,81,53,400.00 उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी।

उक्त अपेक्षा के क्रम में अवगत कराना है कि हड़को द्वारा द्वितीय किश्त की अपेक्षित धनराशि ₹ 868,81,53,400.00 उपलब्ध न कराकर उक्त धनराशि में से दिनांक 18.12.2017 से 31.12.2017 (14 दिन) तक का ब्याज ₹ 2,86,59,004.00 की कटौती करते हुए ₹ 865,94,94,396.00 की धनराशि परिषद को आज दिनांक 18.12.2017 को उपलब्ध करायी गयी है।

परिषद द्वारा हड़को से प्राप्त उक्त धनराशि ₹ 865,94,94,396.00 को आज दिनांक 18.12.2017 को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) उ०प्र० के बचत खाता संख्या-50352149914 में आर०टी०जी०एस० के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गयी है। कृपया उक्त से अवगत होने की कृपा करें।

19/12/17
(वी० के मानवरा)
संयुक्त आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ०प्र०

18/12/17
(विजेन्द्र कुमार)
संयुक्त आवास आयुक्त

पृष्ठांकन संख्या / उपरोक्तानुसार / तद्दिनांक :

प्रतिलिपि:- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, अनुभाग-4, उ०प्र० शासन को अवलोकनार्थ प्रेषित।

(विजेन्द्र कुमार)
संयुक्त आवास आयुक्त

Annexure IV
Uttar Pradesh

PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA-GRAMIN (PMAY-G)
CONSOLIDATED UTILIZATION CERTIFICATE (HOUSING)
UTILIZATION CERTIFICATES FOR THE FINANCIAL YEAR 2017-18

1- Certificate that a sum of Rs 678879.381 lakh (Six thousand seven hundred eighty-eight crores seventy-nine lakhs thirty-eight thousand one hundred only) was received by Uttar Pradesh (Name of State) as Grants-in Aid during the year 2017-18 as per details given below, from the centre Rs 391740.033 Lakh (Three thousand nine hundred seventeen crores forty lakhs three thousand three hundred only) and Rs, 287139.348 lakhs (Two thousand eight hundred seventy one crore thirty nine lakhs thirty four thousand and eight hundred only) from State Government. Further, a sum of Rs 222241.428 lakh (Two thousand two hundred twenty two crore forty one lakhs forty two thousand eight hundred only) being the unspent balance of the previous year 2016-17 was allowed to be brought forward for utilization during the current year. The Misc receipts of the Agency during the year was Rs 23971.692 lakhs (Two hundred thirty nine crore seventy-one lakh sixty nine thousand two hundred only)

I- unspent balance from previous year (2016-17) -222241.428

1- Funds lying in State Nodal account (SNA) Rs- -----

II- Funds of the previous year -2016-17 received during this year 2017-18 Rs- 461962.139 lakhs

Letter No./Date	Central Govt	State Govt	Total
J-12036/02/2016-RH(A/C)-1/A-Uttar Pradesh 27-04-17	30480.948		
J-12036/02/2016-RH(A/C)-1/B-Uttar Pradesh 27-04-17	880.741		
22/2017/898/SS-4 dated 08-08-2017 (83) Total	31361.689	20907.793	52269.482
23/2017/898/SS-4-17-18(Budget)/2015 (83) 20.7.2017		2200.983	2200.983
J-12036/02/2016-RH(R/C)-1-Uttar Pradesh 27-04-17	20907.792		
16/2017/502/SS-4 dated 29-06-17	20907.792	5343.864	26251.656
09/2017/284/SS-4-17-18(Budget)/2015 (13) 5.5.2017		24097.104	24097.104
23/2017/899/SS-4-17-18(Budget)/2015 (13) 8.8.2017		8594.864	8594.864
J-12036/02/2016-RH(A/C)-2/A-Uttar Pradesh 18-09-17	121967.819		
J-12036/02/2016-RH(A/C)-2/B-Uttar Pradesh 18-09-17	3443.763		
Number dated 1	125411.582	83600.00	209011.582
J-12036/02/2016-RH(A/C)-2-Uttar Pradesh 18-09-17	83736.668		
Number dated 2	83736.668	55800.00	139536.668
Total	261417.731	209544.408	461962.139

III- Grants received during the year- 2017-18

Rs. 216917.242 lakhs

Letter No./Date	Central Govt	State Govt	Total
J-12036/02/2017-RH(A/C)-3-Uttar Pradesh 21-11-17	58890.790		
Letter Number-185/GAP-212 dated 18-12-2017 (13)	58890.790	39260.527	98151.317
J-12036/02/2016-RH(A/C)-3A-Uttar Pradesh 21-11-17	71431.512		
Letter Number-185/GAP-212 dated 28-12-2017 (25)	71431.512	47334.413	118765.925
Total	130322.302	86594.940	216917.242
	391740.033	287139.348	678879.381
Grand Total			

2017/12/17/17

2017/12/17/17

प्रमुख,

प्रधान मन्त्री प्रधानमन्त्री,
संयुक्त सचिव,
30 प्र. लखनऊ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्रामीण विकास,
30 प्र. लखनऊ।

12-12-2017

ग्रामीण विकास विभाग
लखनऊ
2017-01-17-2017
12-12-2017

2017/12/17/17
12/17/17
12/17/17
12/17/17

ग्रामीण विकास अनुभाग-4

संख्या: दिनांक 03 मई, 2017

विषय- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2016-17 में प्राप्त केन्द्रों के सापेक्ष अवशेष निर्माण राजस्व की धनराशि के वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत से स्वीकृति के संबंध में (अनुसूची संख्या-13)।

महोदय,

अधुना विधायक आपने पत्र संख्या-246/संयुक्त/संयुक्त/प्र.0/आ.0/2016-17 दिनांक-13 अप्रैल, 2017 धनराशि संबंध में ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु अनुसूचित प्रथम क्रियान्वित की योजना की धनराशि के सापेक्ष राजस्व मूल (अनुसूची संख्या-13) में अनुसूचित केन्द्रों के सापेक्ष अवशेष निर्माण राजस्व की धनराशि ₹ 26315.815 लाख के प्रत्येक के सम्बन्ध में जुड़े यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2016-17 में प्राप्त केन्द्रों के सापेक्ष अवशेष निर्माण राजस्व धनराशि वित्तीय वर्ष-2017-18 के अन्तर्गत में अनुसूचित संख्या-13 में प्राधिकृत धनराशि से लेखाबद्ध अवधि में स्वीकृत योग्य धनराशि में से अवशेष निर्माण राजस्व ₹ 26315.815 लाख (रुपया दो अरब तिरसठ करोड़ पन्द्रह लाख अठ्ठासी हजार पांच सौ मात्र) की धनराशि आपके निदेश पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के दिशा-निर्देशों के अधीन किया जायेगा।

2. (2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी भी दशा में पीएमओए/आयुक्त में जमा नहीं किया जायेगा। तथा प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के दिशा-निर्देशों के प्राधिकृत के तहत वित्त (रिया) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक-21-03-2012 में निर्दिष्ट व्यवस्थापक कार्यालय/व्यय सुनिश्चित की जाये तथा धनराशि आहरित कर पीएमओए/आयुक्त में रखी जायेगी।

3. (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इस धनराशि को नये प्रधानमंत्री आवासों/कच्चे आवासों को पक्का आवासों में अर्जित/निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा।

4. (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय आप संख्या- 1/2017/पी-1-02/एस-2017-231/ 2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 में निहित शर्तों, निर्देशों तथा प्रतिबन्धों एवं योजनागत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

5. (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं आवश्यकता के अधीन नियमानुसार किया जायेगा तथा प्रशासनिक मूल की धनराशि का व्यय केवल प्राधिकृत प्रशासनिक मूल के अन्तर्गत ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं निर्माण कार्य व प्रशासनिक मूल की धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र पृथक-पृथक उपलब्ध कराये जायेगे।

6. (6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय पूरी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

7. (7) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का उपयोग अनुसूचित धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट हो।

8. (8) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का उपयोग अनुसूचित धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट हो।

9. (9) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का उपयोग अनुसूचित धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट हो।

10. (10) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का उपयोग अनुसूचित धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट हो।

11. (11) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का उपयोग अनुसूचित धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट हो।

12. (12) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का उपयोग अनुसूचित धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्य की गुणवत्ता से संतुष्ट हो।

(8)- स्वीकृति की जा रही इस धनराशि को नये प्रधानमंत्री आवासों/कच्चे आवासों का प्रकल्प आवासों के उच्चोत्तरा/ विभाज्य के लिए दसव दिनांक जायेगा। कोई ऐसा अन्य जिसके लिए वित्तीय हस्तापूर्तिव्यय तथा बजट में अनुमान के विभाज्य को अनुमानित शासक या अन्य शासन प्राधिकारी की पूर्ण स्वीकृति आवश्यक होगी, के प्रकल्प ही किया जायेगा।

(9)- स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय प्रकल्प योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग प्रकल्प में कर लिया जाय।

(10)- इस शासकपक्ष में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त निबंधक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को सौंपित किया जायेगा।

(11)- इस सम्बन्ध में यह भी अनुरोध है कि स्वीकृति की जा रही धनराशि का अनुपयोग कोट (प्रशासनिक नग्न एवं निर्माण कार्य का प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष) सम्बन्धित अनुपयोग को उपलब्ध कराया जाय, ताकि जिलाधिकारी प्राप्त केन्द्रों के शीघ्र आवश्यक शासक को आहरण कर सकें।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आच-व्यय के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखावर्षिक-4216-आवास पर प्रयोजन परिसर-03-ग्रामीण आवास-800-अन्य व्यय-04-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (क्र.65/रा.40-क्र.4-रा.1-24-वृत्त निर्माण कार्य) के नामे होना जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के अधिसूची संख्या-यू0300-2-349/दस-17, दिनांक 28.04.2017 में प्राप्त संहति के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 129/2017/284(1)/18-4-2017 आदेशिका

अनुपूरण की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित:-

1-महोदय/महोदय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2-श्री समीप वर्मा, निदेशक, (आय-व्यय), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

3-अपर आयुक्त(लेखा), राज्य विकास, उत्तर प्रदेश।

4-निदेशक, योजनाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6-सम्बन्धित अनुपयोग के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7-वित्त (व्यय निबंधन) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-2/वित्त सहायक (के0 स0) अनुभाग।

8-राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4

9-राज्य प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, संज्ञा कल्याण विभाग।

10-ग्रामीण विकास अनुभाग-3

11-ग्राहक।

आज्ञा से,

(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

IV. Misc receipts of Agency, if any :	23971.692
V. Interest receipts :	3255.451
VI. Total Funds Available :	928347.952
VII. Total Expenditure incurred :	874196.470
VIII. Closing Balance :	54151.482

2- It is certified that out of the above mentioned Total funds of Rs 928347.952 lakh (Nine Thousand two Hundred, eighty three crore forty-seven lakh ninety five thousand two hundred only) available with the State sum of Rs 874196.470 lakh (Rupees Eight thousand seven hundred forty one crore ninety six lakhs forty seven thousand only) has been utilized by State the year for the purpose for which it was sanctioned. It is further satisfied that the unspent balance of Rs 54151.482 lakh (rupees Five hundred forty one crore fifty one lakh forty eight thousand two hundred only) remaining would be utilized for the programme in this year itself.

3. Certified that I have satisfied myself that the condition on which grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money has been actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

4- The utilization of the aforesaid fund resulted into following:-

(i). Outcomes:

- (ii). target fixed during the year 396594
 (iii). number of Houses constructed /Completed 314629 (sanction)
 (iv). number of Houses yet to be taken up 5458

b- Physical outcomes (Number of houses allotted to) :

Category	Female	Joint	Male	Total
SC				151315
ST				4342
Minority				39112
PH				208
others				119652
Total	91902	105063	117664	314629

Kinds of check exercised

(i) The Statement of accounts for the year 2016-17 duly audited by the Chartered Accountant have been obtained and sanctioned.

(ii) The Payment has been made to the beneficiaries to his/her registered bank/ core banking enable post office accounts through digitally FTO.

Encl: copies of sanction order of the State share issued by the State Govt.

Signature _____
 (full name with official seal)
 Authorized signatory of State Government

Date: _____

...Sdf-4-24...

प्रमाणित कुमार श्रीकांत,
विशेष सचिव,
30 प्र० शासनालय

सिवा में,
आधुनिक
सामाजिक विकास
30 पृष्ठ, बख्खन

साहित्य विकास अनुभाग-४

05-DEC-2017

दिनांक: 05 दिसम्बर, 2017

विषय- प्रशासनिक आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तिय वर्ष-2017-18 के तदर्थों के सापेक्ष प्राप्त वित्तवृत्त की प्रमाणिकृत और प्रसरति की स्वीकृति के संबंध में (अनुदान संख्या-83.1)

भारतेंद्र

अनुदान विनियम अधिनियम संख्या-1253/संख्या/प्रतिभा/आ/0-भा/0/2017-18 दिनांक- 22.11.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा भाषा संस्करण के प्रारंभिक J-12038/02/30/6-RH/0/0-3/A-Uttar Pradesh दिनांक 21.11.2017 द्वारा प्रकाशनाधीन आयात योजना (आयात) के अन्तर्गत वित्तियन वर्ष 2017-18 के तदधी के संपर्क संख्या/प्रतिभा/आ/0-भा/0/2017-18 (अनुदान संख्या-03) में अध्यागत प्रथम विस्तार के केंद्राध की धनराशि रु/ 1431.512 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अन्तर्गत प्रस्ताव को संलग्न में भुझे यह कहने का विदेश हुआ है कि सौजन्यपूर्णता शिवाजी वर्ष 2017-18 बजट में धनराशि आवंटन न होने के कारण प्रधानमंत्री उद्यम योजना (सागीप) की कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवाराई के निर्माण हेतु धनराशी 0400 अरब में एचएम निशे की प्राप्त वेक्टरास की पंचराशि ₹0 21941.512 लाख के समवेत घिसल विकास के आदेश संलग्न थी। 0400-9 प्रत्यक्ष दिनांक 05.12.2017 (सागीपति संलग्न) द्वारा मुन्देलकण्ड एवं विश्वक क्षेत्र में सर्फस सेवे आधारित रागीप प्रेरणक योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययों में अनुदान बढ़िया-8.3 के अन्तर्गत आवारक धनराशि ₹0 58800.00 लाख (सुरदे पांच शी अहंसी करोड़) पुनर्वित्तिकोष में सागरप-से आपके नियतेन पर रखने की स्वीकृति श्री राजगपाल म्कोदक निम्न प्रतिधन्य/शरीर के अधील प्रक्रम करते हैं:-

- (1) आयुक्त, शाखा विभाग, 30 मं. के स्तर पर सुनिश्चित कर लिया जाये कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को प्रतिबोधित रूप से संशोधित किया जायेगा। तथा अनुसूचित संख्या-89 से अनुसूचित जनजाति को संशोधित जाति करने के उपरान्त, बाद में कोई संशोधन सम्भव नहीं होगा।
- (2) स्वीकृत धनराशि का आवंटन आयुक्त, शाखा विभाग, 30 मं. के द्वारा आवश्यकतानुसार फॉलोअप करते हुए किया जायेगा।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय विस्तृत (आवश्यक) अनुभाग-1 के कार्यलय साक्ष संख्या- 8/2017/वी-1190/दस-2017-231/ 2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में विहित शर्तों, निर्देशों तथा प्रतिबंधों एवं योजनासंगत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में स्वीकृत की जा रही धनराशि को व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इस धनराशि को योजना के नये आयतनों के निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा।
- (5) परमाणु धनराशि का संकल्प/व्याज आदि के संग्रहण में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के तहत लघु धनराशि को आर्किव कर पीएचएफएमएसड खाते में रखा जाये।
- (6) स्वीकृत की जा रही धनराशि आवंटित कर पीएचएफएमएसड खाते में रखी जाये। धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा जब कि प्रसंगत कार्य/कार में पूर्व में निर्गत व्यय की नयी धनराशि के राष्ट्रीय कृषि कार्य की गुणवत्ता का सम्मान सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

12/8/2017

https://mail.gov.in/arc_stationeryoutshell.html?lang=en&3.0.12.0_15/21607

- (7) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का उपयोग किसी अन्य गट अ नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा क्या जिससे लिए विदेशी प्रतिष्ठानों तथा खंड अनुमति के विदेशी के अनुमति शासन या अन्य समान प्राधिकारी की पूर्ण स्वीकृति आवश्यक होगी, के पालन हो किया जायेगा।
- (8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग सनगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं उपकरणों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अर्हित धनराशि का उपयोग समान्य से कर लिया जाये।
- (9) इस आदेशदेश में अर्हित शर्तों के अनुपालन दिनांक 31 अगस्त 2017 तक निम्नलिखित/सेवाधिकारी जैसी भी स्थिति से: के द्वारा किया जायेगा।
- (10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल सार्वजनिक/सामर्थ्य पर उपलब्ध करवा जाय।

- 2- उपर्युक्त धनराशि राज्य विधीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय के अनुमान संख्या-83 के अधीन सेवाशोधक-4245-आवक पर पूर्णतः परिवर्तित-03-आवक-789-अनुमति 'जोति' के लिए विशेष धन योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण)(कै:60/ए.40-के.)-24-मुक्त निर्माण कार्य' से जारी खर्च जायेगा।
- 3- यह आदेश विस्त (आय-व्यय) अनुमान के कार्यालय आप संख्या- 8/2017 /बी-1-1190/दर-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिधित्व अधिकारी के द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।
- प्रतिनिधित्व अधिकारी

अवधी,
(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या-36/2017/1607(1)/38-4-2016, तदनुसार।

- आदेश की प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1-जम्मावेकावर, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 2-बी-सीसी-सीसी, निदेशक, (आवक), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
 - 3-भारत आयुर्वेद(सेवा), ग्रामीण विकास, उत्तर प्रदेश।
 - 4-निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - 5-मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद, लखनऊ।
 - 6-संयोजित निदेशक के मुख्य/परि कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
 - 7-विस्त (प्रधान निर्वहन) अनुभाग-2/विस्त (आय-व्यय)-अनुभाग-2/विस्त संसाधन (कै:60/ए.40) अनुभाग।
 - 8-मुख्य योजना-आवक अनुभाग-2/निर्माण अनुभाग-4
 - 9-बजट प्रतीक/कलमों नियोजन प्रतीक-आवक कलमों विभाग।
 - 10-राज्य विस्त अनुभाग-3/5 विशेष कोषाधिकारी (यजह प्रकल्प), ग्रामीण विकास विभाग, 30 प्रो. शासन।
 - 11-गोपनीय।

आज्ञा से,
(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

प्रमुख,
सड़देव,
विशेष सचिव,
डि० प्र० आवास,
श्रीवांश,
आधुनिक,
ग्राम्य विकास,
डि० प्र०, लखनऊ।

13/08/2017
11-0-17

आवास विभाग अनुभाग-4

लखनऊ, दिनांक 08 अगस्त, 2017

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2016-17 में प्राप्त केन्द्रांश के शेष अवशेष में विभिन्न राज्यों (वि०-60/रा०-40) वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक से स्वीकृति के संबंध में (अनुदान संख्या-13)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-802/सम्पन्न/प्र०आ०यो०-आ०/2017-18 दिनांक 28.07.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराता है कि शासनादेश संख्या-16/2017/602/38-4-17-18 (बजट)/2015, दिनांक 29.06.2017 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के आवासीय के निर्माण हेतु सामान्य मद (अनुदान संख्या-13) में अवमुक्त केन्द्रांश रु० 22992.571 लाख एवं विभिन्न राज्यों रु० 5343.864 लाख (5 माह के लेखावृत्त में बजट की उपलब्धता न होने के कारण विभिन्न राज्यों की धनराशि रु० 9988.317 लाख धन करते हुए) कुल रु० 283342.435 की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

5/8/17

11/8/17

2- उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष-2016-17 के आवासीय के निर्माण हेतु प्राप्त केन्द्रांश के शेष अवशेष विभिन्न राज्यों द्वारा वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-13 में प्राविधानित धनराशि से रु० 9988.317 लाख (रुपय निम्नान्वये करोड़ अंशों में) स्वीकृत हजार सत्त सौ लाख की धनराशि आपकी निर्धारित पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यव प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दिशा-निर्देशों के अधीन किया जायेगा।
- (2) स्वीकृति की जा रही धनराशि को किसी भी दशा में पी०एल०ए०/आकं० में जमा नहीं किया जायेगा। तथा प्रस्तावित धनराशि का संग्रहण/व्यय आदि के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दिशा-निर्देश के प्राविधानों के तहत वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक-21-03-2012 में निर्दिष्ट व्यवस्थानुसार कार्यवाही/व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा धनराशि आहरित कर पी०एल०ए०/आकं० खाते में रखी जायेगी।
- (3) स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यव आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इस धनराशि को योजना के नये आवासीय के निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यव वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित शर्तों, निर्देशों तथा विनियमन प्रतिक्रिया एवं योजनावर्गगत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यव करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यव प्रस्तावित योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं उपबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा तथा प्रशासनिक मद की धनराशि का व्यव केवल प्राविधानित प्रशासनिक मदों के अन्तर्गत ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं तिरोपण कार्य व प्रशासनिक मद की धनराशियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र पृथक-पृथक व्यवस्था कराये जायेंगे।
- (6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यव इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

14/8/17

- (7) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर पीएमपीएम(एस) खाते में रखी जाये, परन्तु धनराशि का प्रयोग तभी किया जायेगा जब कि आवश्यक कार्य/कार्य में पूर्ण में निर्गत/उपय की गयी धनराशि के समक्ष वृत्त कार्य की गुणवत्ता का सम्पादन सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
 - (8) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को योजना के तहत आवसों के निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय दस्तावेज़िका तथा बजट अनुमति के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सम्बन्धित प्राधिकारी की पूर्ण स्वीकृति आवश्यक होगी, के पालन ही किया जायेगा।
 - (9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रयोग योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये।
 - (10) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त निबंधक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।
 - (11) इस सम्बन्ध में यह भी अनुसंध है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का जम्मादेवार फोंड (प्रशासनिक मद एवं विभागीय कार्य का पृथक-पृथक) सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराया जाये, ताकि जिलाधिकारी प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक राजस्व का आहरण कर सके।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय साल वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पंजीगत परिच्छेद-03-ग्रामीण आवास-800-अन्य व्यय-04-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (के.50/3.40-के.)-24-वृद्धि निर्माण कार्य के तहत शासित जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय जाय संख्या- 1/2017 /बी-1-02/एस-2017-231/2017, दिनांक 02 जनवरी, 2017 में प्रतिनिधित्वित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

निबन्धन
(सहस्र) 18/01/2017
विशेष सचिव।

संख्या- 23 /2017/829 (1/38-4-2017, तददिनांक)।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-असलेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2-निदेशक, (आरएच), राष्ट्रीय विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 3-अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
- 4-निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5-मुख्य कोषाधिकारी, अवाहर भवन, लखनऊ।
- 6-सम्बन्धित जनपद के मुख्य/सिद्ध कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (के.50) अनुभाग।
- 8-राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4।
- 9-विशेष कार्यवाहिकारी बजट प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभाग/ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
- 10-गार्डफाइल।

आसा से,
(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

- (6) स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर पीओएफओएमओएसओ आते में रखी जाय, परन्तु धनराशि का प्रयोग तब किया जायेगा जब कि प्रत्यक्ष कार्य/उपक्रम में पूर्ण में निर्गत/व्यय की गयी धनराशि के समान कृत कार्यों की गुणवत्ता का सत्यापन सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
- (7) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यय किसी अन्य उद्देश में नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट में अनुमान के निगमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्ण स्वीकृति आवश्यक होगी, के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
- (8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रत्यक्ष योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं उपबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।
- (9) इस शासनपत्र में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी जैसे भी स्थिति हो के द्वारा किया जायेगा।
- (10) स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फीट (प्रशासनिक मद एवं निर्माण कार्य का पृथक-पृथक) सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराया जाय ताकि जिलाधिकारी प्राप्त केन्द्रों के समक्ष आवश्यक राज्यांश का आहरण कर सकें।
- 2- उक्त व्यय चार वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-63 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-03-राष्ट्रीय आवास-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष छटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण)(के.60/रा.40-के.)-24-यूहत निर्माण कार्य" के तहत आया जायेगा।
- 3- यह आदेश विस्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय आप संख्या- 1/2017 /बी-1-02/दस-2017-2317/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 में प्रतिनिधित्व अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(सहस्र 18.8.2017)
विशेष सचिव।

संख्या 22 /2017/898(1)/38-4-2016 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिनिधि निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-महानिदेशाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2-श्री समीर वर्मा, निदेशक, (आरएच), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
- 3-अपर आयुक्त(लेखा), राज्य विकास, उत्तर प्रदेश।
- 4-निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5-मुख्य कोषाधिकारी, बाराबर गांव, लखनऊ।
- 6-सम्बन्धित जनपद के मुख्य/परिह कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7-वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-2/विस्त संसाधन (के० सं०) अनुभाग।
- 8-राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4।
- 9-बजट प्रकोष्ठ/केंद्रांश नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
- 10-राज्य विकास अनुभाग-3/विशेष कार्याधिकारी (बजट प्रकोष्ठ), राज्य विकास विभाग, उ० प्र० शासन।
- 11-गार्डफाइल।

आज्ञा से,
(प्रमोद कुमार श्रीवास्तव)
संयोजक सचिव।

प्रणाली,

राष्ट्रीय,

विशेष सचिव,

उ. प्र. शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

ग्राम्य विकास,

उ. प्र. शासन।

संख्या-2/2017/898/38-4-17-19(अनुदान)/2015

संख्या-2/2017/898/38-4-17-19(अनुदान)/2015

विषय- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2016-17 हेतु प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश(के-60-रा-40) सहित धनराशि की वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक से स्वीकृति के संबंध में (अनुदान संख्या-83)।

महोदय,

उपस्थित विषयक अपने पत्र संख्या-430/सम्प्रेषा/प्रशासकीय/2017-18 दिनांक- 23.05.2017 एवं 803/सम्प्रेषा/प्रशासकीय/2017-18 दिनांक- 28.07.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-12036/02/2016-आरएच(ए/सी)-1/ए-यूपी, दिनांक 27.04.2016 एवं पत्र संख्या-जे-12036/02/2016-आरएच(ए/सी)-1/बी-यूपी दिनांक 27.04.2016 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु अनुमोदित प्रथम किस्त की धनराशि के सापेक्ष एसओपीओ एवं टीओएसओपीओ नद (अनुदान संख्या-83) में अनुमोदित केन्द्रांश रु 31361.689 लाख एवं मैचिंग राज्यांश रु 20907.793 लाख अर्थात् कुल रु 52269.482 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उपर प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष-2016-17 में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश (के-60-रा-40) सम्मिलित करते धनराशि से वित्तीय वर्ष-2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 में प्राविधानित धनराशि से केन्द्रांश की धनराशि रु 31361.689 लाख एवं मैचिंग राज्यांश रु 20907.793 लाख अर्थात् कुल रु 52269.482 लाख (रुपया पांच अरब साठ हजार करोड़ अठारह लाख अठ्ठासी हजार दो सौ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ. प्र. के स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व रूप से टारगेट देखा जाता है तथा अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जनजाति की स्वीकृति जारी करने के उपरान्त, बाद में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ. प्र. के द्वारा आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय शाप संख्या- 8/2017 /बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित शर्तों, निर्देशों तथा प्रतिबन्धों

एवं योजनाअन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व वादाह से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इस धनराशि को योजना के तहत आयुक्तों के निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा।

(5) प्रस्तावित धनराशि का संग्रहण/व्यय आदि के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के दिशा-निर्देश के प्राविधानों के तहत तथा धनराशि को आहरित कर पीओएसबी/एमएसओ खाते में रखी जाये।

sd pmjg

3184

14/12/17

4102450117

412117

संख्या: 37/2017/1723 /38-4-17-19(बजट)/2015

प्रति,

प्रधान कुमार श्रीवास्तव,

विशेष सचिव,

30 प्र० शारदा,

सेवा में,

आयुक्त,

ग्राम्य विकास,

30 प्र० लखनऊ।

13 DEC 2017
 2976/PA/1000/17
 13-12-17

4:25 PM

ग्राम्य विकास अनुभाग-4

तथ्यनः दिनांक 13 दिसम्बर, 2017

विषय- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लक्ष्यों के सापेक्ष प्राप्त केन्द्रों की प्रथम किश्त की धनराशि की स्वीकृति के संबंध में (अनुदान संख्या-83)

महोदय,

अनुसूक्त के संबंध में संसद्देश संख्या-36/2017/1605/38-4-17-19(बजट)/2015 दिनांक 05.12.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लक्ष्यों के सापेक्ष एसओसीओ मद (अनुदान संख्या-83) में अवसुक्त प्रथम किश्त के केन्द्रों की धनराशि रु 71431.512 लाख के सापेक्ष आपके प्रस्ताव दिनांक 22.11.2017 के क्रम में पुनर्वित्तियोग के माध्यम से रु 58800.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

उक्त के क्रम में मुझे यह ज्ञापन का निदेश हुआ है कि योजनावर्तगत वित्तीय वर्ष 2017-18 बजट में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के अपारों के निर्माण हेतु एसओसीओ मद में प्रथम किश्त की प्राप्त केन्द्रों की धनराशि रु 71431.512 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग के आदेश संख्या वीओएमओ-9 प्रपत्र दिनांक 13.12.2017 (आवागति संलग्न) द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के आव-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि रु 4255.00 लाख (रुपये द्वासीस करोड़ पचास लाख मात्र) पुनर्वित्तियोग के माध्यम से आपके नियंत्रण पर रखने की स्वीकृति श्री

31/12/17

13/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

- (1) आयुक्त, ग्राम्य विकास, 30 प्र० के स्तर पर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का समितित रूप से दर्शित देखा जाता है तथा अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जनजाति की स्वीकृति जारी करने के उपरान्त, बाद में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी।
- (2) स्वीकृत धनराशि का आधरवा अनुसूक्त, ग्राम्य विकास, 30 प्र० के द्वारा आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुए किया जायेगा।
- (3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 8/2017 /वी-1-1190/दस-2017-231/ 2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में विहित शर्तों, निर्देशों तथा प्रतिबंधों एवं योजनावर्तगत भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इस धनराशि को योजना के तहत अपारों के निर्माण के लिए व्यय किया जायेगा।

31/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

31/12/17

FOR PAMMY (U.S.O) IN MANDAL PRINT 30000000

31/12/17

(3)

(17) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का व्यवहार निम्नी अन्ध में नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए विशेष इतरावृत्तिक नयन धजट सैनुअल के निशजी के अन्तर्गत शसुन या अन्य सनन प्राधिकारी की पुत स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

(18) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यवहार प्रस्तुत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें एवं उमरन्यों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय।

(19) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात हित नियंत्रक/ लेखाधिकारी जैसी ही स्थिति हो के द्वारा किया जायेगा।

(20) स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फंड सञ्चालित जनपदों को उपलब्ध कराया जाय।

2- इस नयन चालु दितीय वर्ष 2017-18 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-4216-आवास पर-पूँजीगत परिचय-03-ग्रामीण आवास-789-अनुषूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-पथानलत्री आवास योजना(ग्रामीण)(कै0 60/रा.40-कै0 24-युल निर्माण कार्य) के नामे द्वारा जायेगा।

3- यह आदेश विल (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017 /बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिधित्वित अधिकारी के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-1 यथोक्त।

भवदीय,

(सुभाष कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

संख्या-37/2017/1232(2/38-4-2016) तददिनांक।

उपयुक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रमुख लेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2-बी रामीर वर्मा, निदेशक, (आय-व्यय), ग्रामीण विकास संचालन, कृषि भवन, राई दिल्ली।
- 3-अपर आयुक्त(विद्या), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
- 4-निदेशक, कौशल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5-मुख्य कोषाधिकारी, अवाहर भवन, लखनऊ।
- 6-सञ्चालित जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7-विन (ग्राम नियंत्रण) अनुभाग-2/विन (आय-व्यय) अनुभाग-2/विन संसाधन (कै0 स0) अनुभाग।
- 8-राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4।
- 9-बजट प्रकौष्ठ/वर्तमान नियोजन प्रकौष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
- 10-ग्राम्य विकास अनुभाग-3/9/विशेष कार्यधिकारी (बजट प्रकौष्ठ), ग्राम्य विकास विभाग, उ० प्र० शासन।
- 11-गृहयुक्त।

आशा से,

(दिनेश चन्द्र पोण्डेय)

अनु सचिव।